

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय

कार्यालय: टैगोर छात्रावास क्रमांक टी-2, श्यामला हिल, भोपाल-462002

दूरभाष एवं फ़ैक्स : 0755-2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/610

दिनांक- 26/4/17

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/संचालक/प्राचार्य,
(निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाएं)
मध्यप्रदेश।

विषय- प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के आगामी ब्लॉक के अर्थात् सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

- संदर्भ- 1. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/487 दिनांक 24.03.2017.
2. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/426 दिनांक 09.03.2017.
3. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/293 दिनांक 20.02.2017.
4. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/212 दिनांक 02.02.2017.
5. इस सचिवालय का पत्र क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/189 दिनांक 30.01.2017.

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम-2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (1) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित एवं किसी नियामक/निकाय यथा एम.सी.आई., डी.सी.आई., एन.सी.आई., सी.सी.आई.एम. पी.सी.आई. ए.आई.सी.टी.ई., एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगामी तीन साल के ब्लॉक अर्थात् सत्र 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के शुल्क विनियमन के संबंध में ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से 18.02.2017 से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

इस संबंध में विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं के द्वारा ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से प्रपत्र में भरे जाने हेतु पूर्व में समिति, सचिवालय द्वारा संस्थाओं को दिये गये यूजर नेम एवं पासवर्ड का मिलान न होने के कारण एवं पुनः उन्हें उपलब्ध कराये जाने, भरी जाने वाली जानकारियाँ को संस्था को संकलन करने तथा तकनीकी व्यवधानों के कारण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से फार्म भरने में आ रही परेशानियों के दृष्टिगत अंतिम तिथि बढ़ाये जाने के संबंध में संस्थाओं द्वारा ईमेल/डाक के माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्रों को माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा संज्ञान में लिया गया एवं दिये गये निर्देशानुसार संस्थाओं के द्वारा किये गये निवेदन के अनुरूप प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाईन फार्म भरने की तिथि को अंतिम बार दिनांक 11.05.2017 तक बढ़ाया जाता है। संस्थाएं उक्त संशोधित अंतिम तिथि तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से ऊपर वर्णित संदर्भित पत्र सरल क्रमांक-4 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप फार्म भरने की कार्यवाही पूर्ण करें।

ऊपर वर्णित संदर्भित पत्र सरल क्रमांक-3 एवं 4 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप संस्थाओं को दिनांक 11.05.2017 तक ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन पत्र एवं निर्धारित प्रोफार्मा अपलोड कर भरे हुये आवेदन पत्र एवं प्रोफार्मा के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर दिनांक 15.05.2017 तक समिति, सचिवालय में आवश्यक रूप से जमा करना अनिवार्य है।

उपरोक्त दर्शाई तिथियों के पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों को समिति द्वारा विचार नहीं किया जावेगा एवं एक्ट के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही संभावित है।

अन्य निर्देश उपरोक्त संदर्भित पत्रों के अनुसार यथावत रहेंगे।

(डॉ. एन.के.शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव

दिनांक - 26/4/17

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2017/611

प्रतिलिपि-1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. कार्यपालक निदेशक, क्रिस्प, भोपाल को इस टीप के साथ कि वे इस पत्र को समिति के वेब पोर्टल के होमपेज पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

(डॉ. एन.के.शर्मा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/सचिव